मा0 उच्चतम न्यायालय सन्दर्भ

अति महत्वपूर्ण/समयबद्ध

संख्या-23/2024/1129/60-1099/388/2023,

प्रेषक,

सुधा वर्मा,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश। (जनपद लखनऊ, आगरा, रामपुर, मथुरा, प्रयागराज,
मेरठ, शाहजहापुर एवं वाराणसी के अतिरिक्त)

महिला कल्याण अनुभाग-1 **लखनऊ::दिनांक:: 07 अगस्त, 2024**

विषयः- मा0 उच्चतम न्यायालय, दिल्ली में योजित याचिका संख्या-(सी0)1003/2021 टैम्पल आफ हीलिंग बनाम यूनियन आफ इण्डिया में पारित आदेश दिनांक 20.11.2023 के अनुपालन में प्रत्येक जनपद में विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण ईकाई (स्पेशलाइज्ड एडाप्शन एजेंसी) की स्थापना एवं संचालन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, महिला कल्याण के पत्र संख्या-1101/निदे0म0क0/प्रोबे0/2024-25, दिनांक-02.08.2024 (प्रति संलग्न) का कृपया अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय, दिल्ली में योजित याचिका संख्या (सी0)1003/2021 टैम्पल आफ हीलिंग बनाम यूनियन आफ इण्डिया में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.11.2023 एवं आदेश दिनांक-09.07.2024 के अनुपालन में प्रदेश के प्रत्येक जनपद में अनिवार्य रूप से 10 बच्चों की क्षमता की विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण इकाई स्थापित किये जाने हेतु जिलाधिकारियों को निर्देशित किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2- उल्लेख करना है कि मा0 उच्चतम न्यायालय, दिल्ली में योजित याचिका संख्या (सी0) 1003/2021 टैम्पल आफ हीलिंग यूनियन आफ इण्डिया में पारित आदेश दिनांक 20.11.2023 एवं आदेश दिनांक-09.07.2024 के अनुपालन में मुख्य सचिव महोदय, उ0प्र0 शासन द्वारा प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया जाना है। उक्त के दृष्टिगत निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत प्राथमिकता एवं समयबद्ध तरीके से 10 की क्षमता की (एक यूनिट) नवीन राजकीय विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण इकाई की स्थापना व संचालन की कार्यवाही पूर्ण की जानी है, जिससे दिनांक 10.08.2024 को प्रत्येक दशा में मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में प्रदेश के समस्त जनपदों (जनपद लखनऊ, आगरा, रामपुर, मथुरा, प्रयागराज, मेरठ, शाहजहापुर एवं वाराणसी के अतिरिक्त) में 10 की क्षमता की (एक यूनिट) राजकीय विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण ईकाई की स्थापना करते हुए संचालन किया जा सके।

3- अवगत कराना है कि वर्तमान में महिला कल्याण विभाग में जनपद लखनऊ, प्रयागराज, आगरा, मथुरा व रामपुर में राजकीय विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण का संचालन किया जा रहा है एवं जनपद मेरठ, शाहजहांपुर व वाराणसी में नवीन संचालन आरम्भ किया गया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- जनपद में 10 की क्षमता की (एक यूनिट) राजकीय विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण इकाई का संचालन आरम्भ किये जाने हेतु मिशन वात्सल्य योजना की गाइडलाइन के अनुरूप जनपद स्तर पर जिला बाल संरक्षण इकाई हेतु मिशन वात्सल्य योजना के अन्तर्गत पूर्व में निदेशक, महिला कल्याण द्वारा दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं एवं धनराशि का आवंटन निदेशक, महिला कल्याण द्वारा किया जा चुका है।

5- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रदेश के समस्त जनपदों (जनपद लखनऊ, आगरा, रामपुर, मथुरा, प्रयागराज, मेरठ, शाहजहांपुर एवं वाराणसी के अतिरिक्त) में 10 की क्षमता की (एक यूनिट) राजकीय विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण इकाई (स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी) की स्थापना किये जाने हेतु राजकीय बाल गृह (बालक/बालिका)/वन स्टाप सेन्टर/राजकीय महिला शरणालय/राजकीय भवन अथवा जिला चिकित्सालय में एक अथवा दो कक्ष का आवंटन कराते हुये आवश्यक/आधारभूत आवश्यकताओं को प्रत्येक दशा में दिनांक 10.08.2024 तक पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः- यथोक्त।

भवदीया,

(सुधा वर्मा)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।